



मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

गिरफ्तारी सूचना पत्र

नाम.....आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक/...../..... को आरोपी.....
 पिता.....उम्र.....पता:-..... जिला.....राज्य.....
के द्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण)अधिनियम 1972 की धारा
 के अंतर्गत आरोपी है अतः इन्हे
 प्रकरण की जांच हेतु गिरफ्तार किया गया है ।
 अतः न्यायालयीन कार्यवाही हेतु सक्षम जनानतदार को लेकर मा0न्यायालय.....में
 दिनांकको उपस्थित हों ।

सूचना पाने वाले के हस्ता0

नाम.....

आरोपी से संबंध.....

मोबा0नं0.....

सूचना देने वाले अधि0/कर्म0 के हस्ता0

पद.....

मोबा0नं0.....



पावती

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

गिरफ्तारी सूचना पत्र

नाम.....आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक/...../..... को आरोपी.....
 पिता.....उम्र.....पता:-..... जिला.....राज्य.....
के द्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण)अधिनियम 1972 की धारा
 के अंतर्गत आरोपी है अतः इन्हे
 प्रकरण की जांच हेतु गिरफ्तार किया गया है ।
 अतः न्यायालयीन कार्यवाही हेतु सक्षम जनानतदार को लेकर मा0न्यायालय.....में
 दिनांकको उपस्थित हों ।

सूचना पाने वाले के हस्ता0

नाम.....

आरोपी से संबंध.....

मोबा0नं0.....

सूचना देने वाले अधि0/कर्म0 के हस्ता0

पद.....

मोबा0नं0.....

:: चेक लिस्ट ::

आपराधिक अपील प्रकरण अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार प्रांत में
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशानुसार
(प्रत्येक गिरफ्तार आरोपी के संबंध में पृथक चेक लिस्ट तैयार की जाए)

जिला	
पुलिस थाना/आपराधिक प्रकरण के संदर्भ सहित	
प्रथम सूचना पत्र क्रमांक और विधि जिसके अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार किया गया है	
दिशा-निर्देश के अनुसार गिरफ्तारी आवश्यक है अथवा नहीं	
गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद	
गिरफ्तारी का कारण	
नाम/उम्र/पता (जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है)	
अधिकतम सजा का प्रावधान (यदि कई अपराध है तो प्रत्येक अपराध में)	
उस व्यक्ति की उपस्थिति की दिनांक (यदि कोई हो तो) - उपस्थित हुआ अथवा नहीं	
वे सभी कारण जो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त और पूर्णतया संतोषप्रद हो- (अ) उस व्यक्ति को अन्य कोई अपराध करने से रोकने के लिए- (यदि हां तो किस प्रकार से क्या अपराध/क्यों हो सकता है) (ब) दर्ज अपराध के यथोचित अनुसंधान के लिए-(कारण/कैसे) (स) उस व्यक्ति को अपराध से संबंधित साक्ष्य को किसी भी प्रकार से प्रतिकूलतः प्रभावित करने/नष्ट करने से रोकने के लिए- (कारण/कैसे) (द) उस व्यक्ति को किसी प्रकार का दबाव, धमकी, भय उत्पन्न करने का वचन देने से रोकने के लिए; जिससे कि वह मामले के अपराध के तथ्यों को अपने वश में न कर लेवे/समाप्त न कर देवे/प्रभावित न कर लेवे (अपने पक्ष में)। तथ्यों को प्रकट	

होने से रोक लेने में सफल नहीं हो जावे/अनुसंधान में प्रकट नहीं हो पावे/न्यायालय के समक्ष भी प्रकट होने से रोक लेवे। (इ) यदि उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो न्यायालय की आवश्यकतानुसार न्यायालय के समक्ष उसे उपस्थित करने में सहजता नहीं होगी/अथवा उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी। (क्यों - कारण)		
गिरफ्तारी के कारण, संक्षिप्त तथ्य प्रकरण के और वह सामग्री जो कि गिरफ्तारी को न्यायोचित ठहराती हो। (गिरफ्तारी की आवश्यकता/औचित्य/उद्देश्य का संक्षिप्त वर्णन किया जा सकता है)		
1	क्या अभियुक्त को कोई अन्य अपराध करने से रोकने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक है ?	हाँ/नहीं
2	क्या अभियुक्त पूर्व से एक दोषसिद्ध अपराधी है या पूर्व में किसी आपराधिक प्रकरण में सम्मिलित रहा है? (पृथक शीट पर जानकारी दे)	हाँ/नहीं
3	क्या अभियुक्त ने पूर्व में जमानत, पैरोल, फर्लो, दण्डादेश आदि का उल्लंघन किया है ?	हाँ/नहीं
4	क्या अभियुक्त द्वारा जमानत आदेश का उल्लंघन अथवा न्यायिक कार्यवाही से बचने की संभावना है ?	हाँ/नहीं
5	क्या अभियुक्त मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी है ?	हाँ/नहीं
6	क्या अभियुक्त के निवास के पते का सत्यापन किया जाना आवश्यक है ?	हाँ/नहीं
7	क्या अपराध संबंधी नवीन तथ्यों के संबंध में अभियुक्त की आवश्यकता है ?	हाँ/नहीं
8	क्या प्रकरण से संबंधित संपत्ति की जप्ती के लिए अभियुक्त का सहयोग अपेक्षित है ?	हाँ/नहीं
9	क्या सहअभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त की आवश्यकता है ?	हाँ/नहीं
10	क्या प्रकरण के अनुसंधान के दौरान सही निष्कर्ष पर पहुंचन के लिये अभियुक्त से अभिरक्षा में पूछताछ किये जाने की आवश्यकता है ?	हाँ/नहीं

11	क्या अभियुक्त द्वारा साक्ष्य को किसी भी प्रकार से विलोपित अथवा विकृत किये जाने की संभावना है ? जिससे अनुसंधान पर प्रभाव पड़ेगा या पड़ सकता है ?	हाँ/नहीं
12	क्या उचित अनुसंधान के लिये अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है ?	हाँ/नहीं
13	क्या अभियुक्त को किसी साक्षी/साक्षियों को उत्प्रेरणा/धमकी/वचन से प्रभावित करने से रोकने के लिये अथवा प्रकरण से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकरण से संबंधित कोई तथ्य प्रकट करने से रोकने के लिये उसे गिरफ्तार करना आवश्यक है ?	हाँ/नहीं
14	क्या आवश्यकता के समय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो जा सकती है ?	हाँ/नहीं
15	क्या अभियुक्त साक्षी/साक्षीगण को प्रभावित करने की स्थिति है ?	हाँ/नहीं
16	क्या अभियुक्त की अभिरक्षा प्रकरण के अनुसंधान के उद्देश्य से आवश्यक है ?	हाँ/नहीं
17	क्या अभियुक्त का रक्त नमूना/आवाज नमूना/डी.एन.ए. नमूना/वीर्य नमूना/थूक नमूना/बाल नमूना/नाखून, हस्तलेख नमूना आदि लिये जाने की आवश्यकता है ?	हाँ/नहीं
18	क्या अभियुक्त की पहचान परेड, संयुक्त पूछताछ अथवा अन्य अभियुक्त के साथ आमने-सामने पूछताछ के लिये आवश्यकता है ?	हाँ/नहीं

नोट - यदि आवश्यक हो तो चैक लिस्ट के बिंदुओं को स्पष्ट करने हेतु पृथक से पृष्ठ जोड़ा जाए।



मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

सम्मस

प्रति,

श्री.....पिता.....उम्र.....

पता:-.....जिला.....राज्य.....

आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा/ वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा एवं अन्य....
.....के अंतर्गत श्री द्वारा
पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक दिनांक..... पंजीबद्ध किया गया है जिसकी जाँच
अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक को स्थान पर समय से की
जाना है। अतः आप निर्धारित स्थान पर निश्चित समय पर प्रकरण की जाँच हेतु उपस्थित हों।

सम्मस जारी दिनांक.....

जाँच अधिकारी



पावती

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

रागारा

प्रति,

श्री.....पिता.....उम्र.....

पता:-.....जिला.....राज्य.....

आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा/ वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा एवं अन्य....
.....के अंतर्गत श्री द्वारा
पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक दिनांक..... पंजीबद्ध किया गया है जिसकी जाँच
अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक को स्थान पर समय से की
जाना है। अतः आप निर्धारित स्थान पर निश्चित समय पर प्रकरण की जाँच हेतु उपस्थित हों।

सम्मस जारी दिनांक.....

जाँच अधिकारी

न्यायालय का नाम.....

अभियोग पत्र – परिवाद पत्र

प्रस्तुतीकरण की दिनांक	पुलिस स्टेशन का नाम	अपराध क्रमांक	अधिनियम एवं धारा

पक्षकारों की जानकारी

अभियोजक	अभियुक्त / अभियुक्तगण					
परिवादी का नाम पिता/पति का नाम उम्र, जाति, निवास	नाम पिता/पति का नाम उम्र, जाति, व्यवसाय, विकासखंड	अनु. जाति	अनु. जन जाति	पिछड़ा वर्ग	सीनियर सिटीजन	विकलांग
	1.					
	2.					
	3.					
सही/गलत का निशान लगायें	4.					
अनु. जाति अनु. जनजाति पिछड़ा वर्ग सीनियर सिटीजन विकलांग	5.					

वन अपराध प्रकरण क्रमांक

1. वन अपराध प्रकरण क्रमांक दिनांक.....
2. वन अपराधी का नाम, पिता एवं पता :-.....
3. वन अपराध पंजीबद्ध करने वाले वन अधिकारी का नाम एवं पद :-.....
4. वन अपराध घटित होने की अनुमानित अवधि :-.....
5. परिक्षेत्र की वन अपराध प्रकरण पंजी का अनुक्रमांक :-.....
6. वन अपराध प्रकरण जांच करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद :-.....
7. जांच हेतु प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक :-.....

दिनांक	समय	स्थान	जांच अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण एवं हस्ताक्षर	जांच में उपस्थित अपराधी/अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

दिनांक	समय	स्थान	जांच अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण एवं हस्ताक्षर	जांच में उपस्थित अपराधी/अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

रिमाण्ड प्राप्ति आवेदन-पत्र

सनक्ष

माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

.....

.....

1 थाना	
2 वन परिक्षेत्र	
3 वन अपराध प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक	
4 धारा	
5 अभियुक्त का नाम एवं पता	
6 गिरफ्तारी दिनांक एवं समय	
7 मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करने की दिनांक एवं समय	
8 अगर रिमाण्ड लिया गया हो तो दिनांक	
9 अपराध का संक्षिप्त विवरण	
10 किस दिनांक तक का रिमाण्ड चाहिए	
11 मजिस्ट्रेट साहब का आदेश	



मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
गिरफ्तारी पंचनामा

- वनअपराध क्रमांक एवं दिनांक
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा एवं अन्य.....
- गिरफ्तार व्यक्ति का नाम
जाति..... उम्र.....
पता.....
- शारीरिक संरचना
रंग..... कद.....
आंख..... बाल.....
निशानी.....
- गिरफ्तारी का दिनांक
स्थान..... समय.....
- गिरफ्तार करने वाले
अधिकारी का नाम
पद.....
- गिरफ्तारी के समय आरोपी के
पास पायी गई सामग्री का विवरण.....

आरोपी को वनअपराध एवं गिरफ्तारी का कारण बताया गया एवं बोधवत गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर

आरोपी के हस्ता/अंगुठा निशानी

• गवाह

हस्ता

1. नाम.....
पता.....
मोबा० नं०.....
2. नाम.....
पता.....
मोबा० नं०.....

.....
.....
.....

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
(भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अर्न्तगत/वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की
धारा 50 के अर्न्तगत)
जप्तीनामा

1. वन अपराध प्रकरण का विवरण.....
2. जप्ती स्थल जी.पी.एस. सहित.....
3. जप्ती का समय/दिनांक.....
4. जप्त करने वाले अधिकारी का नाम व पद.....
5. जप्तशुदा वन्यप्राणी/ अव्ययव.....
(अ) अनाधिकृत अन्य वनोपज.....
6. जप्तशुदा सम्पत्ति का विवरण.....
(मोटर वाहन छोड़कर अन्य उपकरण)
(अ) मोबाइल IMEIIMSI.....
सिम का विवरण कंपनी.....
7. जप्तशुदा मोटर वाहन का विवरण:- वाहन क्रमांक एवं चैसिस क्रमांक.....
8. जप्तशुदा वनोपज/सम्पत्ति पर लगाये गये हेमर/चिन्ह/सील बन्द का विवरण.....
9. अपराधी का नाम एवं पता.....
10. व्यक्ति जिससे वनोपज/सम्पत्ति जप्त की गई.....
11. गवाह:-
 1. हस्ताक्षर.....
नाम/पता
 2. हस्ताक्षर.....
नाम/पता
12. सुपुर्ददार का विवरण हस्ताक्षर.....
नाम/पता.....
(अपराधी/व्यक्ति के हस्ताक्षर) जप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम.....
पद.....

जप्तीनामा की एक प्रति प्राप्त की

(अपराधी/व्यक्ति के हस्ताक्षर)

म.प्र. शासन वन विभाग

(भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52के अंतर्गत/वन्यजीव(संरक्षण)अधिनियम 1972 की धारा 50 के अंतर्गत)

जप्तीनामा

1. वन अपराध प्रकरण क्रमांक.....2. दिनांक..... 3. स्थान.....

4. जप्त करने वाले अधिकारी का नाम
पद

5. आरोपी का नाम एवं पता—

6. अपराधी से जप्त मोबाइल का विवरण

Mobile compny.....Model.....

IMEI-1.....IMEI-2.....

screen lock code.....patern lock o o o
o o o
o o o

Sim card detail

Sim-1 service provider.....IMSI.....No.....

Sim-2 service provider.....IMSI.....No.....

7. गवाह —

1. हस्ताक्षर

नाम —.....

पता —.....

2. हस्ताक्षर

नाम —.....

पता —.....

8. सुपुर्दकार का विवरण : हस्ताक्षर

नाम —.....

पता —.....

(अपराधी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

जप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम—.....

पद—.....

जप्तीनामा की एक प्रति प्राप्त की
(अपराधी/व्यक्ति के हस्ताक्षर)

मध्यप्रदेश वन विभाग सुपुर्दनामा

मैं (सुपुर्ददार)..... वल्द.....

जाति..... उम्र..... ग्राम..... तहसील.....

जिला प्राथमिक वन अपराध प्रकरण क्रमांक..... दिनांक..... मे जप्तशुदा

वनोपज/अन्य सम्पत्ति का आज दिनांक..... अपनी सुपुर्दगी में लेकर वचन देता हूं कि

वनोपज/अन्य सम्पत्ति की पूर्ण सुरक्षा करूंगा एवं किसी भी सक्षम वन अधिकारी के द्वारा मांग किये जाने पर

तुरंत प्रस्तुत करूंगा।

(ए) सुपुर्दगी में प्राप्त वनोपज/अन्य सम्पत्ति का विवरण (सूची संलग्न है।)

गवाह

हस्ताक्षर सुपुर्दकार

1. हस्ताक्षर

नाम.....

नाम.....

पता.....

पता.....

2. हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर वन अधिकारी

नाम.....

पद.....

सुपुर्दनामा की एक प्रति प्राप्त की

हस्ताक्षर सुपुर्दकार

मध्यप्रदेश शासन – वन विभाग
जामातलासी

1. वन अपराध क्र..... प्रथम अपराध सूचना क्र..... दिनांक.....
2. अपराध की धारा.....
3. स्थान..... दिनांक..... समय.....
4. आरोपी का नाम..... पिता..... उम्र.....
5. स्थाई पता.....
6. वर्तमान पता.....
7. तलासी अधिकारी का नाम व पद.....
8. गवाहों का नाम 1.....
2.....
9. तलासी में पाया विवरण.....
.....
.....
.....

हस्ताक्षर आरोपी

हरस्ताक्षर गवाह

- 1.
- 2

हस्ताक्षर वन अधिकारी
सील